A F R

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 66 /2012

मनोहर लाल, पिता– बाजामल सिंधि, उम्र लगभग वर्ष,
निवास– नया खोरोबाहर होटल, आमापारा वार्ड, धमतरी,
तहसील एवं जिला– धमतरी (छ.ग.)

(प्रतिवादी)
..... अपिलार्थी

//विरूद्ध//

अंजूमन इस्लामिया पंजीकृत वक्फ संस्था,

द्वारा– प्रबंधक, अंजूमन इस्लामिया, धमतरी,

सदर बाजार, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छ.ग.)

(वादी)
..... (उत्तरवादी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा– श्री किशोर भादुड़ी एवं श्री सब्यसाची भादुड़ी अधिवक्ता ।

उत्तरवादी/ वादी द्वारा– श्रीमती हमिदा सिद्दकी एवं श्री राहुल अग्रवाल अधिवक्ता।

माननीय न्यायाधिपति श्री संजय के.अग्रवाल

निर्णय

15/03/2021

1. प्रतिवादी/अपीलकर्ता द्वारा यह दूसरी अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसे सुनवाई के लिए दिनाँक 25/04/2013 को स्वीकार किया गया । विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न है–

क्या वाद और अपील अपंजीकृत वक्फ द्वारा दायर की गयी है, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 के तहत वर्जित है ?

(सुविधा के लिए, पक्षकारों की स्थिति और क्रम के अनुसार संदर्भित किया गया है , विचारण न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यहाँ वादी/उत्तरवादी ने बेदखली के लिए वाद दायर किया है, अन्य बातों के साथ–साथ यह बताते हुए कि, वादी ने प्रतिवादी/अपीलकर्ता को अंग्रेजी कैलेंडर माह के अनुसार वाद आवास किराया 100/–रूपये प्रति माह की दर से आवास हेतु किराये पर दिया था । वादी ने आगे यह भी निवेदन किया है कि, वाद अनुदान दिनांक द्वारा उत्तरवादी/वादी ने मकान प्रदान किया था 21–9–1961 मस्ताना मियां की पत्नी मासूमी को द्वारा दिया गया। इसके बाद मासिक किराया बढ़ाकर 150/– प्रति माह कर दिया गया । सितंबर, 1999 में प्रतिवादी ने किराए का भुगतान बंद कर दिया और दिनाँक 25/09/1999 और दिनाँक 02/07/2000

को नोटिस भेजा और वादगृह को आवश्यकता होने के कारण खाली करने का निर्देश दिया, वादी को वक्फ एवं कब्जा दिलाने का निर्देश दिया गया, परंतु उसे सौंपा नहीं गया । किरायेदारी समाप्त कर दी गई और बेदखली की डिक्री के लिए बेदखली और किराए के बकाया के भुगतान के लिए वाद पेश किया गया है ।

3. वाद का विरोध करते हुए, प्रतिवादी ने यह कहते हुए लिखित बयान पेश किया कि, अन्य बातों के साथ–साथ वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार से वर्जित है और इस प्रकार, वादी बेदखली की डिक्री का हकदार नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. वाद का निर्णय करने के लिए विचारण न्यायालय ने कुल ग्यारह विवाद्यक निर्मित किया और यह माना गया कि, वादी वादभूमि का स्वत्वाधिकारी है, वादभूमि को वर्ष 1990 में प्रतिवादी को किराए पर आवास हेतु दिया गया था । वादी को वास्तविक आवश्यकता नहीं है, प्रतिवादी के पास है, किराया नहीं दिया है और प्रतिकूल रूप से अपना पद भी पूरा नहीं किया कब्जा और वाद वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 द्वारा वर्जित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा आगे यह माना गया कि, पंजीकृत वक्फ विलेख की तारीख दिनांक 21–9–1961

(एक्स.पी–2) के अनुसार वादी मकान मालिक और वाद आवास का मालिक है तदनुसार, बेदखली के डिक्री का आदेश दिया गया।

5. विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री से व्यथित होकर वादी, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री पारित कर प्रतिवादी को प्रथम अपील के समक्ष प्राथमिकता दी । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री की पुष्टि की वह वाद जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आधारित है वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 तैयार की गई है इस निर्णय के शुरुआती पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है संपूर्णता के लिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलकर्ता/प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने अभिवचन किया है कि, वादी का वाद वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 87 के तहत वर्जित है और उक्त अधिनियम के अनुसार वाद और अपील जो पेश किया गया है, चलने योग्य नहीं है । इस मुद्दे को विचारण न्यायालय में विवादक नहीं बनाया है । इस प्रश्न पर दोनो ही न्यायालय मे विचार नहीं किया है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में भगवति प्रसाद बनाम चंद्रमौल[1] और

भंवर लाल बनाम टी.के.ए. अब्दुल करीम माध्यम एन.के. मोहम्मद मुस्तफा[2] प्रतिवादी को सवाल उठाने से रोका नहीं गया है, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 87 के आधार पर आक्षेपित डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है और दूसरी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7. वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती हामिदा सिद्दकी ने अभिवचन किया है कि, प्रतिवादी ने यह दलील कभी नहीं दी है और न ही प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान मे विशेष रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष न ही न्यायालय के समक्ष कभी यह मुद्दा उठाया है, यह विचारण न्यायालय और उभयपक्षों के बीच विवाद का विषय नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 AIR 1966 SC 735

2 1993 Supp (1) SCC 626

विचारण न्यायालय और उभयपक्षों के बीच विवाद का विषय नहीं है अन्यथा उचित दलील हो सकती थी, अपील के ज्ञापन और क्रमांक में संशोधन के माध्यम से उठाया गया है ऐसा आधार वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 पर आधारित था । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उठाया गया,

कोई आधार नहीं मिल रहा है प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को चुनौती देते हुए विचारण न्यायालय के साथ–साथ, एक नया आधार पेश किया गया है जिसका इस द्वितीय अपील में संज्ञान नहीं लिया जा सकता उत्तरवादी/वादी को द्वितीय अपील के स्तर पर ले जाकर आश्चर्य की बात है, दूसरी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. मैंने दोनो पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और विचार किया उनके तर्को को अत्यंत सावधानी के साथ ध्यान में रखते हुए दर्ज किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी का वाद यह है कि, वाद संपत्ति मासूम्बी के पास थी और पंजीकृत वक्फ विलेख के द्वारा, उसने वादी के पक्ष में वक्फ किया जो पंजीकृत है वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत वक्फ के आधार पर वादी वाद भूमि का स्वामी है । वादी ने प्रतिवादी को आवास किराये पर दे दिया था, प्रतिवादी के द्वारा किराया नहीं दिया गया तब प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित किया गया और किरायेदारी समाप्त कर दी गई और उसके बाद, बेदखली का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी उपस्थित हुआ और अपनी जवाबदावा में आधी अधूरा बयान दिया कि, वक्फ का पंजीकरण नहीं हुआ है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि, विचारण

न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, और वाद को रद्द करने का फैसला सुनाया गया और किरायेदारी समाप्त कर दी गयी । वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85, बेदखली के लिए वाद था आदेश दिया । निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध व्यथित होकर विचारण न्यायालय में, प्रतिवादी ने प्रथम अपील को प्राथमिकता दी, यहाँ तक कि, अपील का ज्ञापन, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 के तहत आधार बिल्कुल गायब है और परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार किया गया और कोई निष्कर्ष नहीं निकला अपील को गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है। वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 का विषय नहीं था कि, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष चर्चा और यही कारण है कि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नीचे दिए गए बिंदु पर विचार क्यों नहीं किया अधिनियम की धारा 87

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

87. अपंजीकृत वक्फ की ओर से अधिकार प्रवर्तन का वर्जन—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंर्तनिहित किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे वक्फ की ओर से जो इस अधिनियम के प्रावधानों के

अनुसार पंजीकृत नहीं है, किसी अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए कोई वाद अपील अथवा अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के आरंभ होने के उपरांत किसी न्यायालय द्वारा संस्थित अथवा प्रारंभ सुनी जाना विचारित अथवा निर्णित संस्थित अथवा आरंभ की गयी थी, ऐसा वाद अपील, अथवा अन्य विधि कार्यवाही जारी, सुनी, विचारित अथवा निर्णित ऐसे आरंभ के उपरांत किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जावेगी, जब तक ऐसे आरंभ होने के उपरांत किसी न्यायालय द्वारा नही की जावेगी, जब तक कि, ऐसे आरंभ होने के उपरांत ऐसा वक्फ इस अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पंजीबद्ध न हो गया हो ।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान यथा संभव किसी ऐसे वक्फ जो इस अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पंजीकृत नहीं है कि ओर से किये गये मुजरा अथवा अन्य किसी दावे प्रयोज्य होंगे ।"

11. यह प्रावधान पंजीकरण के महत्व पर जोर देता है कि, वक्फ अधिनियम के तहत पंजीकरण होना अनिर्वाय है, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 636 और ऐसा न करने पर धारा 61 के तहत दंड शामिल है । यह धारा किसी भी अधिकार के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रवर्तन पर रोक लगाती है, जो किसी भी न्यायालय में अपंजीकृत वक्फ है यह प्रावधानित है, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के अनुरूप।

12. यह कहा गया है कि, 1–11–2013 से धारा 87 प्रभावी है वक्फ अधिनियम, 1995 को वक्फ (संशोधन) द्वारा निरस्त कर दिया गया था अधिनियम, 2013 (2013 का 27)। स्वीकार किया है कि, वाद का आधार उक्त अधिनियम की धारा 87 के तहत वर्जित नहीं किया गया था । प्रतिवादी ने लिखित बयान पेश करते समय विचारण न्यायालय के समक्ष शुरूआत में उठाया था, लेकिन कोई विवाद्यक नहीं बनाया गया इस संबंध में विचारण न्यायालय और प्रतिवादी ने भाग लिया वाद की कार्यवाही की और निर्णय सुनाने की अनुमति दी अन्य सभी आधारों पर जो उन्होंने और जिन मुद्दों के लिए उठाए हैं निम्नलिखित आधार पर जो उन्होने विवाद उठाया था, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 यह मानती है कि इसका क्षेत्राधिकार के आधार पर विचारण न्यायालय पर रोक लगा दी गई और अंततः वादी की वास्तविक आवश्यकता पर डिक्री पारित की गई है । अपील में, फिर से वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 को आधार बनाया गया है प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष तर्क उठाया गया कि, धारा 87 के तहत वर्जीत है । अब पहली बार विधि का प्रश्न है यह दूसरी अपील में उठाया गया है, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 के अनुसार विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, यह विधि का शुद्ध प्रश्न नहीं है ।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कृष्णपसुबा राव कुंडापुर (मृत) के बाद उसके विधिक वारिसान और अन्य बनाम दत्तात्रय कृष्णजी करानी[3], के मामले में यह माना गया है कि, विचारण न्यायालय के समक्ष मुद्दा नहीं उठाया गया है तो पक्षकार पहली बार प्रथम अपीलीय न्यायालय में इसे उच्च न्यायालय के समक्ष नही उठा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ओडिसा उच्च न्यायालय द्वारा चिमन राम भतार एवं अन्य बनाम गंगा साहा एवं अन्य के मामले में माना है कि, धारा 69 साझेदारी अधिनियम, 1932 के अनुरूप है, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 में कहा गया कि, यह अभिवचन नहीं किया जा सकता कि, जो वाद दायर किया गया है साझेदारी के अधिनियम की धारा 69 के कारण चलने योग्य नहीं है, पहली बार दूसरी अपील में नहीं उठाया जा सकता, उसी प्रकार यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, और इसके बिना इसका निर्णय नहीं किया जा सकता इस तथ्य का पता लगाना कि फर्म वास्तव में

थी या नहीं मुकदमा संस्थित होने के समय पंजीकृत किया गया हो जब तक कि ऐसा लिखित बयान में अभिवचन न किया गया हो ।

15. वादी ने वाद पेश किया है कि, पंजीकृत वक्फ विलेख में संपत्ति को वक्फ की विषय वस्तु मासूम्बी द्वारा वर्ष 1961 में वादी को बनाया है, इसलिए प्रतिवादी को विशेष अभिवचन करना था, जो नहीं किया है । खासकर तब जब वाद बेदखली और किराया बकाया के लिए हो और पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता हो, डिक्री के लिए वास्तविक आवश्यकता स्थापित की जानी चाहिए यह पाया गया है कि, वादी को निवास के लिए आवश्यकता थी, इसलिए किरायेदारी समाप्त कर दी गयी, विचारण न्यायालय में डिक्री स्वीकार हो चुकी है, जिसकी पुष्टी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। दोनो पक्षों के मध्य मकान मालिक–किरायेदार का संबंध, किरायेदारी की समाप्ति और वादी को आवश्यकता होना दोनों ही तथ्य स्थापित पाई गई है निष्कासन के वाद में निचली अदालत में इस प्रकार, प्रारंभ से ही प्रतिवादी ने धारा 87 वक्फ अधिनियम 1995 के तहत कोई विशिष्ट आधार नहीं उठाया, द्वितीय अपील के स्तर पर उसे नया आधार उठाकर आश्चर्यचकित करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती । विचारण न्यायालय के समक्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी भी तथ्यात्मक आधार का अभाव है, जैसे व्य.प्र.सं. के आदेश 08 नियम 02 में प्रावधान है कि, "प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सब बातें उठानी होगी जिनसे यह दर्शित होता है कि, वाद या विधि दृष्टि से वह व्यवहार शून्य है और प्रतिरक्षा के सब ऐसे आधार उठाने होगें जो ऐसे है कि, यदि वे न उठाये गये तो यह संभाव्य है कि, उनके सहसा सामने आने से विरोधी पक्षकार चकित हो जायेगा, या जिनसे तथ्य के ऐसे विवाद्यक पैदा हो जायेंगे जो वाद पत्र से पैदा नहीं होते ।" विद्वान अधिवक्ता श्री भादुड़ी द्वारा उद्धृत निर्णय प्रतिवादी, अर्थात् भगवती प्रसाद (सुप्रा) और भंवर लाल (सुप्रा), किसी भी तरह से, उसका समर्थन नहीं करते क्योंकि पार्टियां नहीं गई वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 87 के आधार पर मुद्दे पर मुकदमा ऐसे में प्रतिवादी को इसके आधार पर याचिका दायर करने से रोका जाता है उक्त अधिनियम की धारा 87 के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय में कोई कानूनी त्रुटी नहीं की है, विचारण न्यायालय के फैसले एवं डिक्री की पुष्टी की जाती है । विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर तद्अनुसार दिया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. परिणामस्वरूप दूसरी अपील खारिज की जाती है । अपीलार्थी अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

17. तदनुसार अपीलीय डिक्री तैयार की जाएगी ।

सहीं/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।